कार्यालय महानिरीक्षक, निबन्धन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

संख्याः4738/शि0का0लख0/2016

लखनऊः दिनांकः25 नवम्बर, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्याः 2653, दिनांक 08 नवम्बर, 2016 (का.आ.3408(अ)) एवं तत्क्रम में निर्गत अधिसूचना संख्याः 2671, दिनांक 10 नवम्बर, 2016 (का.आ. 3429(अ)) तथा अधिसूचना संख्याः 2682, दिनांक 11 नवम्बर, 2016 (का.आ. 3445(अ)) एवं अधिसूचना संख्याः 2685, दिनांक 14 नवम्बर, 2016 (का.आ.3448(अ)) के अनुक्रम में इस कार्यालय के आदेश संख्याः 4602/शि0का0लख0/2016, संख्याः 4606/शि0का0लख0/2016 तथा 4612/शि0का0लख0/2016 सभी दिनांक 15.11.2016 द्वारा उत्तर प्रदेश के स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन शुल्क एवं स्टाम्प वादों के निस्तारण के फलस्वरूप देय अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क के भुगतान के लिए विद्यमान श्रंखलाओं के रू0 500 एवं रू0 1000 अंकित मूल्य के बैंक नोटों को स्वीकार किये जाने के संबंध में निर्देश प्रसारित किये गये थे।

2. पुनः उपरोक्त के क्रम में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय(आर्थिक कार्य विभाग) द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्याः 2774, दिनांक 24 नवम्बर, 2016 (का.आ.3544(अ)) के अनुक्रम में रजिस्ट्रेशन शुल्क एवं स्टाम्प वादों के निस्तारण के फलस्वरूप देय अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क के लिए दिनांक 15 दिसम्बर, 2016 तक पुरानी श्रंखला के 500 रूपये के नोट स्वीकार किये जायेंगे।

3. उपरोक्त अधिसूचना संख्याः 2774, दिनांक 24 नवम्बर, 2016 (का.आ.3544 (अ)) द्वारा यह छूट केवल 500 रूपये अंकित मूल्य के बैंक नोट पर ही अनुमन्य की गयी है, अतः स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के प्रयोजन से भी 1000 रूपये के पुरानी श्रंखला के नोट स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

4. उपरोक्त के अतिरिक्त इस संबंध में पूर्व में निर्गत कार्यालय-ज्ञापों में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

Anil 25.11.2016

(अनिल कुमार)
महानिरीक्षक, निबन्धन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृ0संख्याः4738(1)/शि0का0लख0/2016, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

(1) मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

(2) प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।

(3) प्रमुख सचिव, स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

(4) प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

(5) निदेशक, बैंकिंग, उ0प्र0, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि कृपया अपने स्तर से समस्त बैंको को सूचित करने का कष्ट करें।

(6) निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश।

(7) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

(8) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(9) समस्त उप/सहायक, महानिरीक्षक, निबन्धन, उत्तर प्रदेश।

(10) समस्त उप निबन्धक, निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश।

(11) क्षेत्रीय प्रबन्धक, स्टाक होल्डिंग कार्पोरेशन आफ इण्डिया लि0।

आज्ञा से,

25-11-16

(अखिलेश कुमार श्रीवास्तव)

अपर महानिरीक्षक, निबन्धन,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।